

02/12/2022

पत्रावली पेश हुई। वकील पद्मकरम् हाजिर
नहीं आये हैं। वकील पद्मकरम् को पत्रावली
में आज न्यायालय में तीन-तीन बार आर्बेन
लावावले पर भी हाजिर नहीं आने पर पत्रावली
अंतर्गत 0-9, R-3 जा. दी के तहत अदम
हाजिरी एवं अदम पैरों में खारिज किया
जाता है। मूल काद अदम हाजिरी में
ले जाने से भी अब पत्रावली में कार्यवाही
असंभव है। पत्रावली फौजल कुमार की
जाकर केबल से काम लेकर हाजिर हाजिर
है। आदेश सुने न्यायालय में सुनाया
जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा
से प्रमाणित जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर
सांभर लोक (जयपुर)

